रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3007] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939
No. 3007] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3438(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन बिहार राज्य के भीतर गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के लिये सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये श्री प्रमोद कुमार, वरीय उप समाहर्ता, बिहार सरकार, को मो. खबीर, अपर समाहर्ता, बिहार सरकार के स्थान पर प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एल-14014/32/2017- जी. पी.-II]

एस.पी. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2017

S.O. 3438(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), Central Government hereby authorizes Shri Pramod Kumar, Senior Deputy Collector, Government of Bihar vice Md. Khabir, Additional Collector, Government of Bihar to perform the functions of Competent Authority for Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & spur pipeline of GAIL (India) Limited, under the said Act, within Bihar State.

[F. No. L-14014/32/2017-GP-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

6404 GI/2017

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.28 10:01:43 +05'30'